न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 33 / 2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 144
मुकन्द सिंह पुत्र हरनेक सिंह निवासी 5 केएसडी पो.ऑ. सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

बनाम

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 30.09.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के पत्रांक सूकाअ / 24 / 532 दिनांक 28.08.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि कार्यालय के पत्रांक / सूकाअ / 24 / 3647 दिनांक 15.05.2024 द्वारा तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था जिसकी सूचना प्रार्थी को भी दी गई थी।

इस पर तहसीलदार रायसिंहनगर से प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा अपने पत्रांक / राजस्व / 2024 / 1329 दिनांक 19.09.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.10.2023 को जरिये प्रार्थना पत्र नकल रिकार्ड एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन दिनांक 13.05.2024 द्वारा पत्र क्रमांक 1800 दिनांक 26.05.2008 एवं पटवार हल्का मोहकमवाला की रिपोर्ट दिनांक 21.05.2008 एवं पटवार हल्का मोहकमवाला की दैनिक डायरी दिनांक 19.04.2007 की नकल चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में कार्यालय में उपलबध रिकार्ड की तलाश हेतु कार्यालय के पत्रांक / राजस्व / 24 / 900–902 दिनांक 29.05.2024 द्वारा तीन सदस्य कमेटी का गठन किया गया जिसकी सूचना प्रार्थी को दी गई थी, परन्तु तथ्य अधूरे होने के कारण रिकार्ड की प्राप्ति नहीं हो सकी। कार्यालय से संबंधित प्रार्थी द्वारा चाहा गया रिकार्ड की समुचित जानकारी यथा प्रकरण संख्या / अनवान / निर्णय दिनांक से ही सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय पर सूचना नहीं देने आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का सूचना का अधिकार का आवेदन तहसीलदार रायसिंहनगर को हस्तांतरित किये जाने का कथन किया गया हैं और तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा सूचना की तलाश करने पर रिकार्ड प्राप्त नहीं होने एवं वांछित रिकार्ड की विशिष्टियां अधूरी होने के कारण सूचना प्रदान करने में असमर्थता जाहिर की हैं। अपीलार्थी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र का परिशीलन किया। अपीलार्थी के द्वारा 10 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी थी जिनमें से आंशिक सूचनाएं उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय से भी संबंधित हैं, एवं आंशिक सूचनाएं तहसील कार्यालय से संबंधित हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है। आवेदक से वांछित सूचना से संबंधित विशिटियां अपने आवेदन में अंकित करना अपेक्षित हैं। लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त होने पर निश्चित समयावधि में आवेदन का निस्तारण/हस्तांतरण किया जाना अपेक्षित है। निश्चित समयावधि में आवेदन का निस्तारण नहीं करने का अर्थ आवेदन अस्वीकार किये जाने से हैं।

राज्य लोक सूचना अधिकारी को चाहिए था कि वे अपीलार्थी/आवेदक द्वारा वांछित सूचनाओं के संबंध में अपीलार्थी को बिन्दूवार प्रतिउत्तर प्रेषित करते। कार्यालय में सूचना की उपलब्धता/अनुपलब्ता का अंकन करने हेतु आवेदन के स्वीकार/अस्वीकार/हस्तांतरण का अंकन कर अपीलार्थी/आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाते। आवेदन के निस्तारण में आवेदन का मंजूर एवं ना मंजूर किया जाना दोनों शामिल हैं। हस्तगत प्रकरण में उक्त कार्यवाही का अभाव हैं। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे इस निर्णय की प्रति के प्राप्ति के सात दिवस के भीतर नए सिरे से आवेदक/अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर बिन्दूवार विनिश्चय पारित करें व तहसील कार्यालय से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किये जाने हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर को बिन्दूवार अंकन करते हुए आवेदन हस्तांतरित करें और अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करावें तथा तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर बिन्दूवार विनिश्चय पारित करें और अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)